

प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। जिन बातों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है उसी का विस्तार मात्र संविधान में किया है। प्रस्तावना के द्वारा हमारे शासन व्यवस्था के दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना के द्वारा निम्नलिखित दर्शनों को समर्पित किया गया है →

1. भारत को एक प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र कहा गया है। अर्थात् जी. वि. निर्माण में भारत किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। हम अपने शासन के क्रिया-व्ययन में बाहरी दबाव को नहीं मानेंगे।

2. समाजवाद के द्वारा सामाजिक / समाजीकरण पर बल दिया गया है। जिसके तहत समाज में सभी लोगों की हितों बराबर होंगी।

3. पंचनिरपेक्षता के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का अपना कोई वर्ग नहीं होगा तथा वह सभी वर्गों के प्रति समान भाव रखेगा।

4. भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ शासन का अन्तिम शक्ति भारत की आम जनता है।

शासन व्यवस्था को संघोपगत जनता के द्वारा  
जनता के विचार लिए किया जाता है।  
इसलिए शासन की जनता का ही है।

यूनि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख  
(राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है। इसलिए  
भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है।

प्रस्तावना में उल्लेखित इन दलों  
को स्थापित करने के लिए व्याय, समानता  
स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया जाता  
है। मानव की गरमा तथा प्रतिष्ठा की  
समानता को स्थापित करने, एक लोकतंत्र और  
समाजवाद को स्थापित करने का उद्देश्य रखा  
जाया है।

भारत में यह विवाद का विषय  
रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग  
है या नहीं। केशवानंद भारती वाद में न्यायालय  
ने प्रस्तावना को ~~सं~~ संविधान का अंग  
स्वीकार किया था तब 42वें संविधान  
संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में  
संशोधन किया गया। इस संशोधन के  
द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और  
धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तथा  
शुद्ध और अखण्ड शब्द जो जोड़ा  
जाया।